

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:-भू.अ./2016/

प्रेषिति:

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय.

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री. सुरेश पिता लक्ष्मण नि. पुरोहित का सोपवा प.ह. 428 डि.ग. के राजस्व ग्राम पुरोहित का सोपवा में जमावन्दी संवत् 2078-84 की खाता संख्या 496,495,394 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक श्री नाम लक्ष्मण लाल किये जाने की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक श्री नाम लक्ष्मण लाल शर्मा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2016/

दिनांक:- / / 2016

लिखित

2025 / 1068

18/12/2025

पटवारी हल्का बुमडिया

664
2025

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री सुरेश पिता लक्ष्मण राजस्व ग्राम पुरोहित का सोपवा प.ह. की खाता संख्या 496,495,394 में पिता का नाम लक्ष्मण दर्ज है। जिस सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री सुरेश पिता लक्ष्मण की पिता का नाम लक्ष्मण लाल शर्मा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की अनुशंसा प्राप्त की जाती है। प.ह. बुमडिया राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त अनुसार अंकन की जायना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

गतिविधि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ